"आदेश"

श्री जिया-उर-रहमान निवासी 521/1 लद्धावाला मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी आपत्ति में परिसीमन में खालापार, मिमलाना रोड, शाहबुदीनपुर रोड के अत्यधिक क्षेत्रों को छोड दिये जाने का उल्लेख करते हुए न्यायसंगत कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 27.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि सम्पूर्ण नगर क्षेत्र को परिसीमन शासनादेश सं0-869/ 9-1-2017-02 निर्वाचन/2017 दिनांक 04 अप्रैल 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। आपत्ति बलहीन व निराधार होने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए आपत्ति बलहीन एवं निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर